विजय कुमार, आई०पी०एस०



डीजी परिपत्र सं0 - **03** /2024 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

दिनांक: जनवरी 19, 2024

विषयः

जनिहत याचिका संख्या-2753/2023 In Re Designated Courts For MPs/MLAs Vs. State of U.P. में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.01.2024 के अनुपालन में जनपद के Designated Courts For MPs/MLAs द्वारा अभियुक्तों एवं साक्षियों को निर्गत आदेशिकाओं (सम्मन/वारण्ट/नोटिस) आदि के तामीला हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-699/2016 अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 09.11.2023 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-2753/2023 In Re Designated Courts For MPs/MLAs Vs State of U.P. स्वमेव पंजीकृत की गयी है। मा0 सांसदों एवं विधायकों के विरुद्ध विचाराधीन आपराधिक अभियोगों के त्वरित निस्तारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांकित 04.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) में Designated Courts For MPs/MLAs द्वारा निर्गत आदेशिकाओं के प्रभावी तामीला हेतु एक अधिकारी नामित कर सूचित करने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देशित किया गया है—

"6. State shall also inform the Court as to whether any officer has been designated by it for effecting service on the accused persons and notices on witnesses in cases relating to MPs/MLAs."

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-699/2016 अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ व अन्य में मा० सांसदों तथा विधायकों के विरुद्ध विचाराधीन आपराधिक अभियोगों के त्वरित निस्तारण हेतु दिये गये निर्देशों तथा तत्क्रम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-2753/2023 में पारित आदेश दिनांकित 04.01.2024 में की गयी अपेक्षा के क्रम में प्रत्येक किमश्ररेट में पुलिस उपायुक्त (अपराध)/सहायक पुलिस उपायुक्त (अपराध) तथा प्रत्येक जनपद में अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध)/पुलिस उपाधीक्षक (अपराध) को Designated Courts For MPs/MLAs द्वारा निर्गत आदेशिकाओं के प्रभावी तामीला हेतु नोडल अधिकारी नामित करने का निर्णय लिया गया है।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने किमश्नरेट में तैनात पुलिस उपायुक्त (अपराध)/सहायक पुलिस उपायुक्त (अपराध) तथा अपने-अपने जनपद में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध)/ पुलिस उपाधीक्षक (अपराध) को नोडल अधिकारी नामित करते हुये उनके नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर तथा ईमेल आई.डी. इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नामित नोडल अधिकारी Designated Courts For MPs/MLAs द्वारा निर्गत आदेशिकाओं (सम्मन / वारण्ट/नोटिस) का ससमय तामीला सुनिश्चित कराते हुये तामीला रिपोर्ट नियत तिथि से पूर्व सम्बन्धित मा० न्यायालय को प्रेषित करेंगे तथा अभियुक्त / साक्षियों की नियत तिथि पर उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे।

प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से सम्बन्धित है, अतः विशेष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(विजय कुमार)

- 1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1. पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था),उ०प्र0, लखनऊ।
- 2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ०प्र०, लखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ०प्र0, लखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ०प्र0, लखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ०प्र0, लखनऊ।
- 6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।

Court No. - 21

Case: - PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 2753 of 2023

Petitioner: - In Re Designated Courts For Mps/Mlas

Respondent :- State of U.P.

Counsel for Petitioner :- Suo Motu **Counsel for Respondent :-** G.A.

Hon'ble Manoj Kumar Gupta, Acting Chief Justice Hon'ble Samit Gopal, J.

- 1. Sri Manish Goel, learned Additional Advocate General and Sri A.K. Sand, learned Government Advocate are present on behalf of State.
- 2. On the previous date, we issued number of directions to the Special Courts, which requires furnishing of statements on various aspects.
- 3. We had also directed the Registrar General to ensure that an independent tab on the website of this Court be activated so that district wise information about the details of the year of filing, number of subject cases pending and stage of proceedings is clearly reflected.
- 4. The Registrar General shall submit a report as to whether directions given by us are being complied with or not by the next date.
- 5. List this case again on 23.01.2024 at 02.00 P.M.
- 6. State shall also inform the Court as to whether any officer has been designated by it for effecting service on the accused persons and notices on witnesses in cases relating to MPs/MLAs.

(Samit Gopal,J.) (Manoj Kumar Gupta,ACJ.)

Order Date :- 4.1.2024

SK